



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : <https://bsea.bihar.gov.in>, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पटना / दिनांक : 27/08/2026

अधिसूचना

संख्या-नि. प्रा./नि. 1-03/2026..2036..... चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित 61 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा- 4 एवं बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 30.09.2026 (बुधवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 1907 दिनांक 07.08.2026 द्वारा 61 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.07.2026 निर्धारित की गई थी। 61 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है।

4. उक्त के आलोक में अनुलग्नक-1 में अंकित 61 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई. 1 में सूचना का प्रकाशन	01.09.2026 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	16.09.2026 (बुधवार) एवं 18.09.2026 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	19.09.2026 (शनिवार) एवं 21.09.2026 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	23.09.2026 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	30.09.2026 (बुधवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	30.09.2026 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	03.10.2026 (शनिवार)

5. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा- 14 में किये गए संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा-

- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे

बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव आदि पद सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

- (II). सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) पद, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद आरक्षित किये जायेंगे।
- (III). उपर्युक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (IV). अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (V). अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- (VI). अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (VII). जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होंगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तदनुसार ऊपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

6. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए अनुलग्नक-2 पर संलग्न प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 01.09.2026 (मंगलवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। प्रपत्र-ई० 1 को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय-3 की कंडिका-(1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समाचार के रूप में कवरेज हेतु इस कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को भी भेजी जायेगी। उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा।

7. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र- ई० 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, 20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित, में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र- ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।

8. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की यथासंभव वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

9. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसके संबंध में संलग्न परिशिष्ट-01 में निदेश दिये गये हैं।

10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र-ई-18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट-01 के निर्देशों के अनुरूप अपलोड कराएँगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 03.10.2026 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नक: यथोक्त।

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2036

पटना/ दिनांक : 27/08/2026

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

2036

संयुक्त सचिव।

27/08/2026

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स. स.)/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) से अनुरोध है कि इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) को निदेशित किया जाता है कि प्राधिकार के पत्रांक-8933 दिनांक-15.06.2012 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन संचालन हेतु निर्गत आवश्यक अनुदेश का अनुसरण आवश्यक संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) करेंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है। विहित प्रपत्रों की प्रति सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उपलब्ध है।

ज्ञापांक : 2036

पटना/ दिनांक : 27/08/2026

संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., बरौनी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक से अनुरोध है कि वे दुग्ध समिति की उपविधियाँ दिनांक 29.08.2026 तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निर्देशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में

उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

27.8.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2036

पटना / दिनांक

27/08/2026

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

27.8.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2036

पटना / दिनांक

27/08/2026

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग / सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2036

पटना / दिनांक

27/08/2026

प्रतिलिपि: प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27.8.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2036

पटना / दिनांक

27/08/2026

प्रतिलिपि: MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री वेद प्रकाश, आई.टी. प्रोफेशनल, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

27.8.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2036

पटना / दिनांक

27/08/2026

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग / परामर्शी / अवर सचिव / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / लेखा शाखा, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

27.8.26

संयुक्त सचिव।

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	संबद्ध संघ	समिति का नाम
1	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	अम्बा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
2	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	केहुना दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
3	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	बाझटोल लरही जीविका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
4	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	मुसहरी टोला गिद्धा जीविका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
5	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	माँ दुर्गा जीविका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
6	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	विकसशील जीविका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
7	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	श्रीराम जीविका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
8	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	संझौती जीविका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
9	खगडिया	अलौली	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	हर्षित नगर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
10	खगडिया	खगडिया	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	जयभारत जीविका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
11	खगडिया	खगडिया	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	हर्ष जीविका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
12	खगडिया	गोगरी	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	कोयला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
13	खगडिया	गोगरी	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	नागरटोला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
14	खगडिया	गोगरी	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	पूर्वी बसुआ दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
15	खगडिया	चौथम	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	धुतौली दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
16	खगडिया	चौथम	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	पहाड़चक महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड

[illegible]

53	बेगूसराय	वीरपुर	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	सरौंजा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
54	लखीसराय	चानन	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	बतसपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
55	लखीसराय	चानन	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	मननपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
56	लखीसराय	चानन	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	सिंहचक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
57	लखीसराय	बड़हिया	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	सदाय बीघा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
58	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	अरमा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
59	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	बरियारपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
60	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	मसुदन दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड
61	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	शिवनगर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड

प्रपत्र-ई0 1

सूचना का प्रपत्र

जिला....., प्रखंड..... के अन्तर्गत(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2
अध्यक्ष	01 पद (अनारक्षित)
सदस्य	12 पद
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• पिछड़ा वर्ग	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• अति पिछड़ा वर्ग	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• सामान्य वर्ग	06 पद, जिसमें से 50% से अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित

(ii) अध्यक्ष के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....(स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक से दिनांक.....तकबजे सेबजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक को अपराह्नबजे के पूर्व तक..... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र-ई 7 जारी किए जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।

(viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांकको निम्नांकित मतदान केन्द्र/केन्द्रों पर 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा:-

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम

(1)

(2)

(3)

(ix) मतगणना दिनांक.....को.....बजे से (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्थान-

तिथि-

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू न हों, उसे काट दें।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि एवं अभिलेख अपलोड करने से संबंधित निर्देश।

1. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में ससमय निम्न सूचनाओं को प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है—

क्र०	सूचना प्रविष्टि का समय	प्रविष्टि/अपलोड की जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व	प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हों अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्टि करना है। साथ ही प्रपत्र-ई० 1 को अपलोड भी करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/निर्विरोध/मतदान स्थगित को प्रविष्टि करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिए गए मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्टि करना है।

2. प्रपत्र-ई० 1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किए जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/निर्विरोध/मतदान स्थगित /मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किए जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी।

3. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निम्नांकित अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय सीमा में अपलोड किया जाना है—

क्र०	अभिलेख अपलोड का समय	अपलोड किये जाने वाले अभिलेख
i.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची , (प्रपत्र-ई० 18)
ii.	मतगणना के एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर (Scan Resolution – Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode-Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-Pdf, File Size-Maximum 20 MB (यदि

		मोबाईल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पैक्स के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो}} कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।
--	--	---

प्रपत्र-ई0 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) एवं अंतिम मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अतएव निर्वाचन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने निगरानी में उक्त दोनों अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायें। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा। वेबसाईट पर प्रविष्टि अथवा अभिलेख को अपलोड करने के संदर्भ में किसी प्रकार की परेशानी होने पर प्राधिकार के पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण किया जा सकता है। इसके अलावे निम्नांकित नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है—

1. श्री वेद प्रकाश— 7543014562
2. श्री अमित अमन— 9507066220

—0—